राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

चार शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, एक दर्जन से अधिक वारदातों का खुलासा

जयपुर, 13 नवम्बर। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्री अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि जयपुर शहर में बढ रही चौपहिया वाहन चोरी की घटनाओ की रोकथाम के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम श्री रतन सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी मुरलीपुरा श्री नवीन खण्डेलवाल एवं थानाधिकारी हरमाड़ा श्री लखनसिंह खटाना के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री हवा सिंह, कानिस्टेबल पवन काजला, राजेन्द्र सिंह, राकेश कुमार, जगदीश एवं मुकेश कुमार (साईबर सेल कार्यालय पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम) की एक विशेष टीम का गठन किया गया था।

गठित पुलिस टीम द्वारा जिला जयपुर पश्चिम में हो रही वाहन चोरीयों के मध्य नजर पूर्व में चालान शुदा वाहन चोरों पर सतत् निगरानी रखी गई। इसी दौरान दिनांक 12.11.17 को उक्त गठीत पुलिस टीम को मुखबीर खास से सूचना मिली की एक चोरी की बोलेरो कार को चुराने वाले बैनाड़ रोड़ पर बेचने की फिराक में घुम रहे है। आदि सूचना पर पुलिस टीम सादे वस्त्रों में मुखबीर द्वारा बतायी गाड़ी की पहचान कर गाडी की घेराबन्दी कर गाडी में बैठे चार अभियुक्त (1) लोकेन्द्र सिंह उर्फ भंवर सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी खडगपुर, थाना रैणी, जिला अलवर (2) विकास उर्फ रोहित पुत्र श्री टीकमचन्द, जाति मीणा निवासी पातरखेडा, थाना बान्दीकुई, जिला दौसा (3) भवानी सिंह उर्फ बीएस पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति मीणा, निवासी गांव कुटक्या थाना लालसोट, जिला दौसा व (4) इलियास पुत्र श्री निजामुद्दीन जाति सिन्धी–मुसलमान, निवासी ग्राम बापीणी, थाना फलौदी, जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमों के कब्जे से पुलिस थाना मुरलीपुरा जयपुर से चुराई गई गाड़ी बोलेरो कार रजि. न. आर जे 18 युए 3846 को व गाडी के लॉक खोलने वाली दो कलकी बरामद की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों ने करीब एक दर्जन वाहन चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। चोरी किये गये अन्य वाहनों के बारे में अभियुक्तगणो से गहन पुछताछ कर बरामदगी के प्रयास जारी है।

यह है मामलाः– परिवादी श्री विनोद कुमार स्वामी पुत्र श्री प्रभुदयाल स्वामी जाति स्वामी निवासी ग्राम हाल म. न. 29 आर्य नगर मुरलीपुरा थाना मुरलीपुरा जयपुर ने रिर्पोट पेश कि की मेरे वाहन बोलेरो रंग सफेद रजि. न. आर जे 18 यु ए 3846 को दिनांक 8.11.17 की रात्री में समय 12.10 एएम से सुबह समय करीब 8.00 एएम के बीच कोई चोर चुराकर ले गया। आदि पर पुलिस थाना मुरलीपुरा पर प्रकरण सख्या 532/17 धारा 379 भादस में पंजिबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

तरीका वारदात :– अभियुक्तगण दिन में रास्तों एंव वाहनो की ऑनडिमाण्ड रैकी कर रात्री के समय वाहन को चुराकर उसको पचास हजार से एक लाख रूपये में बेचते है।

आपराधिक रिकार्डः– अभियुक्त लोकेन्द्र सिंह उर्फ भंवर के विरूद्व पुलिस थाना करणी विहार जयपुर पश्चिम में 2 प्रकरण व पुलिस थाना ट्रांर्सपोट नगर जयपुर पूर्व में 1 प्रकरण दर्ज है। आरोपी भवानी उर्फ बीएस के विरूद्व पुलिस थाना आंधी जयपुर ग्रामिण में 2 प्रकरण वाहन चोरी के दर्ज है।

Mahila Desk